FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बेगूँ

कंकूबाई पत्नि मांगीलाल गुर्जर निवासी दुगार बनाम शिशंकर पत्नि शंकरसिंह निवासी कणोली तह.भीलवाडा

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट

मु0नं0 61/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम ज हुक्म की में जारी हुए
21/5/21	पत्रावली आज पेश की गई, अधिवक्ता प्रार्थीया को तलब किया गया, प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा मौजा दुगार की आराजी संख्या 29, 30, 73, 74 किता– 4 रकबा 1.6800 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी विपक्षीया शिवकंवर पत्नी शंकरसिंह राजपूत की उपस्थिती में कराने का निवेदन किया था, पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में दिनांक 17.06.2021 को रखी गई थी, किन्तु न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली संख्या 60/2018 प्रार्थना पत्र व अनवान कंकूबाई बनाम शिवकंवर प्रार्थना पत्र अ.धा. 128 एल.आर.एक्ट में भी प्रार्थीया द्वारा मौजा दुगार की आराजी संख्या 29, 30, 73, 74 किता– 4 रकबा 1.6800 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया जाने पर इस प्रकरण संख्या 60/2018 में पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट तहसीलदार, बेगूं द्वारा उनके पत्रांक 833 दिनांक 17.05.2021 से प्रस्तुत कर आराजीयात की पत्थरगढी कर दी गई है। प्रा.पत्र संख्या 60/2018 को पत्थरगढी की पालना पूर्ण होने से फैसल शुमार की गई। चूँकि यह प्रार्थना पत्र 61/2019 व 60/2018 एक ही अनवान व एक ही ग्राम की आराजी का पत्थरगढी का होकर दोनो ही प्रार्थना पत्रो में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी कर दिये जाने से यह प्रार्थना पत्र संख्या 61/2019 को [illegible] बहस स्टेज पर फैसल शुमार किया जाता है। Signature Not Verified Digitally signed by Kailash Chand Gurjar Date: 2023.08.22 16:43:32 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़	